प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 19.12.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- **थाना शिवली पुलिस द्वारा ₹ 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना शिवली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 398/2025 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11(1)(च) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त पर पुरस्कार घोषित किया गया था।**

जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम, खुलासे, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 11.12.2025 को समय समय शाम 19.45 बजे थाना क्षेत्र के रामपुर गजरा गांव के पास जंगलो में 37 राशि गौवंशीय पशुओं को काटने व परिवहन किये जाने के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक बाँधकर रखा गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 398/2025 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11(1)(च) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। दिनांक 16.12.2025 को पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्तगण 1. मोहर सिंह पुत्र गोपी बंजारा निवासी टीन टपरिया थाना सुकेत जिला कोटा प्रान्त राजस्थान उम्र 33 वर्ष हाल पता ग्राम धूलपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर 2. राजू पुत्र गोरेलाल बंजारा निवासी टीन टपरिया थाना सुकेत जिला कोटा प्रान्त राजस्थान उम्र 38 वर्ष हाल पता ग्राम धूलपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया। जिनसे की गयी पूछताछ के क्रम में अभियुक्त शादाब पुत्र स्व0 हमीद निवासी गांधी नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में आया। जिसकी गिरफ्तारी किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त शादाब पुत्र स्व0 हमीद निवासी गांधी नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000 रुपये का पुरुष्कार घोषित किया गया। जिसमें थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर ₹ 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी शादाब पुत्र स्व0 हमीद निवासी गांधी नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष को आज दिनांक 19.12.2025 को समय करीब 09.45 बजे थाना शिवली अन्तर्गत ग्राम भुजपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. शादाब पुत्र स्व0 हमीद निवासी गांधी नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 398/2025 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11(1)(च) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त शादाब पुत्र स्व0 हमीद निवासी गांधी नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष मो0नं0 8445832756 ने पूछने पर बताया कि मैं राजस्थान के बंजारा मोहर सिंह व राजू बंजारा , राघव बंजारा व साहिल औरैया के रहने वाले नसरुद्दीन के साथ मिलकर जंगलो मे घूमने वाली गाय एवं साँड को चोरी छिपे पकडकर इकट्ठा कर लेते थे और कुछ गाय काटकर उनका मांस बेच देते हैं। मोहर सिंह व राजू व राघव तथा नसरूद्दीन यह लोग गांव के आस पास जंगल में डेरा बनाकर रुकते हैं और आस पास के अन्ना गाय बछड़ों को इकठ्टा करते हैं इसके बाद मुझको सूचना देते हैं तब हम सभी मिलकर उनको रात में ट्रक में लोड कराकर काटने के लिये बंगाल , रामपुर व अन्य जगहों में भेज देते हैं। इसी उद्देश्य से अभी 06-07 दिन पहले हम सब साथियों ने मिलकर गाय ,गाय के बछड़े व कुछ साँड पकड़कर ग्राम रामपुर गजरा के जंगल क्षेत्र में बेचने व काटने के लिए इकट्ठे किये थे तो गांव के किसी आदमी ने पुलिस को सूचना कर दी थी तो पुलिस आई थी हम लोग पुलिस आता देखकर मौके पर जानवरों को छोड़कर भाग गये थे।

बरामदगी का विवरण

एक मोबाइल फोन एण्ड्राइड वीवो कम्पनी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना शिवली पुलिस।